राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर

विकास, रखरखाव एवं क्रय नीति

राजस्थान महिला विद्यालय के विभिन्न विभागों में भौतिक एवं शैक्षिक संसाधनों के विकास, रखरखाव एवं क्रय के लिए नीति निर्धारण किया गया है । यह नीति आरएमवी संस्थान के सभी विभागों में समान रूप से लागू होती हैं ।

1. संस्था में एक निर्माण समिति का गठन किया गया है जो कि रखरखाव व नवीन निर्माण के प्रस्तावों पर विचार कर आवश्यक सुझाव संस्था की कार्यसमिति के समक्ष मंत्री महोदय के माध्यम से प्रस्तुत करेंगी ।
2. सभी विभाग वार्षिक योजना एवं बजट प्रस्ताव बनाते समय अपने विभागों की आवश्यकताओं के अनुसार नवीन साधनों (पुस्तकें, शैक्षिक उपकरण या अन्य शिक्षण अधिकगम सामग्री) का क्रय, नवीन भवन के निर्माण एवं वर्तमान भवन में रखरखाव के प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे जिसे वित्त समिति एवं कार्यसमिति द्वारा विवेचना कर योजना एवं बजट में शामिल किया जायेगा।
3. उपरोक्त योजना एवं बजट स्वीकृति के अनुसार जब भी विभागों को आवश्यकता होगी तो वे क्रय, निर्माण व रखरखाव के विस्तृत प्रस्ताव बनाकर केन्द्रीय कार्यालय को भेजेंगे जिस पर निर्माण समिति, क्रय समिति विचार कर निर्धारित नियमों व मापदण्डों के अनुसार कार्यों को किये जाने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे ।
4. क्रय अथवा कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित विभाग के प्रभारी द्वारा इन्हें प्रमाणित किया जायेगा एवं स्टॉक रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्ठी के पश्चात् भुगतान किया जायेगा ।
5. कुछ कार्यों जैसे कम्प्यूटर, पम्प, पानी की टंकियाँ, अग्नि शमन संयंत्र आदि जिसमें नियमित अनुरक्षण की आवश्यकता होती है उसके लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा प्रदान की जायेगी एवं इसके अन्तर्गत समस्त उपकरणों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. समस्त विभागाध्यक्षों को रूपये 1500/– तक अपने विवेक अनुसार व्यय करने को अधिकृत किया गया है जिससे कि आवश्यक सामान्य कार्य शीघ्रता पूर्वक पूर्ण किये जा सके ।
7. जिन कार्यों को योजना एवं बजट में शामिल नहीं किया गया हो एवं बाद में प्रस्ताव आया हो ऐसे कार्यों की स्वीकृति मन्त्री महोदय एवं वित्तमंत्री द्वारा दी जायेगी है एवं इस राशि को पूरक बजट में पारित किया जायेगा ।
8. संस्था की कार्यसमिति द्वारा 01.08.2018 से क्रय प्रक्रिया की नीति स्वीकृत की गई है, उसके अनुसार उपरोक्त कार्यो को पूर्ण किया जायेगा ।

(नितिन हिंगड़)
मंत्री